OFFICE DES NATIONS UNIES
A GENÈVE

UNITED NATIONS OFFICE
AT GENEVA

CH-1211 GENÈVE 10

UNCTAD/PSMS/ADM

PORT PAYÉ
1211 GENÈVE 10

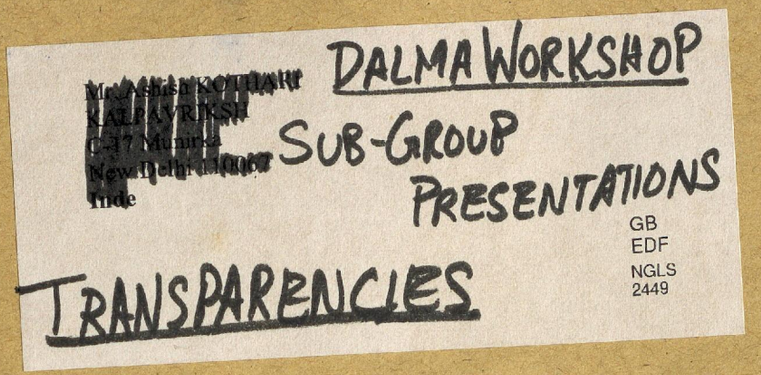

विचार दल - 2

समाधान की ओर

(1) इको - विकास (Eco-development)

(i) खेती का विकास

(ii) सिंचाई की व्यवस्था - दुलमा के पानी को रोककर चेक डैम बनाना

(iii) मुर्गी, मछली, सूअर, मधु मक्खी पालन

(iv) कृषि वानिकी (Agro forestry)

(v) सूखे जमीन की कृषि (Dryland Agriculture)

(2) शिक्षा की व्यवस्था / जागरूकता.

(3) कुटीर उद्योग की व्यवस्था

(4) खाद, संरक्षण, जड़ी-बूटी, इत्यादि को बढ़ावा देना।

(5) उत्पादकों के लिए सहकारिता समिति का निर्माण (जो गैर वन क्षेत्र से प्राप्त होगा।

(6) ग्रामों में विचार गोष्ठी/कार्यशाला-ओं का आयोजन।

गाँव से शहर

कार्यशाला का स्वरूप हो।

(7) जलावन का दूसरा विकल्प सुलभ कराया जाए
(8) इको विकास समितियों को कानूनी मान्यता दी जाए।

दालमा अभयारण्य : मुख्य मुद्दे

1. दलमा जंगल/पहाड़ी के मूल्य

1. जल स्रोत (डिमना झील, आदि) – जमशेदपुर/गाँव
2. जंगल जीव/विविधता – हाथी व अन्य
3. कई जातियों का निवास व जीवन-स्रोत ~~जड़ी-बूटी~~
4. धार्मिक/सांस्कृतिक महत्व
5. आसपास गाँव/जमशेदपुर के लिए ईंधन का स्रोत
6. पर्यटन / तीर्थ
7. शुद्ध हवा – जमशेदपुर का प्रदूषण कम करना
8. जड़ी-बूटी का स्रोत

2. स्थानीय समुदायों का जीवन-यापन

– जंगल पर रोज की जरूरतें, व आमदनी का स्रोत
(खेती पर्याप्त नहीं)
– सांस्कृतिक-धार्मिक लगाव

3. अखंड शिकार (सेंद्रा)

– प्राचीन, पहले अन्य गतिविधियों से जुड़ा हुआ
(मिलन, झगड़ा निपटाना); अब शायद नहीं
– 20,000 लोग – शहर से भी
– पहले शायद कोई हानि नहीं (जानवर ज्यादा, शिकारी कम),
अब जानवरों के अभाव से शायद नुकसानदायक
– वार्तालाप चालू हुआ है

4. अभयारण्य/जंगल विभाग व समुदाय के रिश्ते

– जंगल पदार्थ निकालने पर रोक की शिकायत,
विभाग के अधिकारी/लोगों से दूरी ... अलगाव
– विभाग लोगों की निर्भरता को कम करने के लिए उत्सुक
– अभयारण्य क्या है? कहां से कहां? जानकारी का अभाव ...

Rajni Kothari

G-1/10, Lajpat Nagar
New Delhi-110024
Phone: 231190
2517131/ (Off)

Date.....................

5. बाहरी दबाव

1. जमशेदपुर के लकड़ी की मांग - ईंधन व इमारती
2. 1 जुलाई 1995 का अधिनियम - फलदार वृक्ष काटना
3. शराब के ठेके - लकड़ी का प्रयोग
4. पत्थर काटने के उद्योग, अभ्यारण्य के बाजू मे
5. पर्यटन / तीर्थ, बिना कोई रोक

6. वन सुरक्षा समितियों की दिक्कतें

- कई सफल समितियां, कई असफल — ~~कईयों मे~~
  अभ्यारण्य मे बचाये गए जंगल से कोई मुनाफा नहीं, तो लोगों मे निराशा
- गाँव ने अपना जंगल बचाया, दूसरों का काटा — गाँव मे आपस मे फूट / झगड़ा
- अभ्यारण्य के प्रबंध मे समिति की कोई भागीदारी नहीं

मुद्दों के हल की ओर कुछ संकेत

- विभाग मे लोगों की जरूरतों की ओर ध्यान, साझेदारी के जरूरत की मान्यता
- समुदायों मे जंगल बचाने की इच्छा - समितियाँ
- गैर-सरकारी संस्थाओं का काम

साथ मिलकर दलमा को कैसे बचाया जाए?
वार्तालाप की शुरुआत — अंतिम जवाब नहीं इस बार

ग्रुप संख्या - 4 : मनुष्य एवं हाथी का संबंध

हाथी का मनुष्य पर प्रभाव -

★ आकस्मिक मुठभेड़ होने पर आक्रमण : छेड़खानी करने पर.
★ फसलों की बरबादी - रौंद कर, संग्रहित अनाज एवं खाद्य पदार्थ की बरबादी.
★ मकान एवं सम्पत्ति की बरबादी
★ हाथी के प्रकोप से मानसिक तनाव पैदा होना एवं भय का वातावरण

मनुष्य का हाथी पर प्रभाव

★ भोजन एव आवास स्थान में लगातार कमी वन सम्पदा के ह्रास के कारण
★ विदेशी प्रजाति के वृक्षों के रोपण से खाद्य सामग्रियों में कमी.
★ प्राकृतिक जंगल में बांस के वनों का ह्रास.
★ ध्वनि से उत्पन्न परेशानियां - पर्यटन, तीर्थ यात्री, भारी वाहन, क्रशर, खनन, लकड़हारों के द्वारा की गई ध्वनि, शिकारियों के द्वारा की गई ध्वनि प्रदूषण.
★ जलीय क्षेत्रों का मनुष्य द्वारा अतिक्रमण.
★ जंगल क्षेत्र का संकुचीकरण (loss of forest corridor)
★ स्वर्णरेखा नहर परियोजना के द्वारा हानि.
★ आश्रयणी के आस-पास अवैध शराब चुलाई का धंधा.
★ अवैध शिकार

अवैध शिकार : समस्याएं, समाधान.

★ ज्यादातर बाहरी व्यक्तियों के द्वारा/स्थानीय सहभागिता न्यूनतम (धार्मिक भावनाओं के फलस्वरूप)
★ व्यापारियों के द्वारा लालच दिया जाना.
★ अवैध महुवा शराब बनाने वालों के द्वारा हाथी को जहर देना.

हाथियों के स्वभाव की विचित्रता :

★ सामाजिक प्राणी : अकेला हाथी ज्यादातर खतरनाक
★ बच्चों के साथ वाला झुंड ज्यादा आक्रामक.
★ शराबी हाथी ज्यादा नुकसान करता है.
★ घायल एवं अशक्त हाथी ज्यादातर संकोची.

बचाव की वर्त्तमान रणनीति :

★ दीर्घकालिक व्यवस्था के स्थान पर तत्कालिक एवं सघन व्यवस्था.
★ भगाने हेतु स्थानीय लोगों के द्वारा मशाल, पटाखे, अलाव, नगाड़ा बजाना एवं मचान से हल्ला करना.
★ सरकार द्वारा Cattle Proof Electric Fencing.

सुझाव :

★ खटालों के जानवर एवं ग्रामीण इलाके के पशुओं के वन क्षेत्र में चराई पर रोक.
★ दलमा के प्राकृतिक वनों का बेहतर संरक्षण.
★ वन्य प्राणियों के उपयुक्त पौधों का रोपण एवं संरक्षण
★ जल का बेहतर प्रबंधन
★ मनुष्य जनित अतिक्रमण को न्यूनतम करना.
★ मुआवजा नीति को मजबूत, सरल बनाना.
★ आश्रयणी क्षेत्र में जंगली आग पर काबू रखना.
★ वन विभाग को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना, विशेषकर संचार एवं आवागमन, तथा arms उपलब्ध कराना.
★ स्थानीय लोगों की वन प्रबंधन में भागीदारी.
★ MULTI-DEPARTMENTAL COOPERATION.

ग्रुप संख्या - 4 विषय : सेन्दरा (वार्षिक आदि० शिकार)

- सेन्दरा को आदिवासियों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर मानते हुए देखा जाना चाहिए।
- टकराव के स्थान पर आपसी सहयोग की आवश्यकता
- संचालन हेतु समन्वय समिति का गठन जिसमें सभी समूह, सरकार, NGOs की भागीदारी हो
- सेन्दरा के बारे में डोकुमेन्टेशन की आवश्यकता है पर्चे, पत्रिका, रेडियो, टी०वी० इत्यादि
- इसके सम्बन्ध में जन जागरण अभियान चलाया जाये, जिसमें वन एवं वन्य प्राणी का महत्व, नियमावली
- दालमा के किसी एक भूभाग में सेन्दरा मनायें
- खुला विश्राम स्थल पर पानी, दवा, बिजली, खेलकूद, तीरन्दाजी, आमोद प्रमोद के साधन दिये जाय
- शिकार के लिये नियमावली जो स्पष्ट एवं संक्षिप्त के अनुरूप हो। फांसी, बन्दूक के प्रयोग को रोकें
- इस अवसर पर जुटे लोग पंचायत के आधार पर अपने झगड़े, मामलों का निबटारा करें। इसके साथ जल-जंगल-जमीन से जुड़े मुद्दों पर सकारात्मक वार्तालाप हो। शिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, कुटीर उद्योग, ग्राम विकास में भाग लेने वालों के लिये
- सेन्दरा के निमित्त अलग सेन्टर हों जहाँ उन्हें साल भर अपने बारे में एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराया जा सके (Inf. dissemination centre)
-

आन्तरिक खतरा

1. गरीबी, अशिक्षा/-अज्ञानता
2. शहरीकरण, बढ़ती हुई जन सेरना
3. आपसी झगड़े, आन्तरिक राजनीति
4. नशाधान/बुरी आदतों का शिकार
5. वन भूमि अतिक्रमण

न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम

- वनों की सुरक्षा एवं वन्य-प्राणियों की रक्षा
- स्वरोजगार की योजनाएँ
- आसी सहयोग/सभी की सहभागिता
- ECO- विकास को प्रभावित करना
- वृक्षा रोपण एवं संरक्षण करना
- जागरूकता / जनआंदोलन

GROUP – 3

TOPIC – बाहरी दबाव / आन्तरिक दबाव

I. बाहरी दबाव

1. विश्व बैंक / अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ
2. बहु राष्ट्रीय कम्पनियाँ
3. नेतागण
4. ठेकेदार एवं मिल- मालिक / माफिया
5. वन अधिनियम
6. तीर्थ, मेला, पर्यटन

(2) <u>समाधान की ओर</u>

1. खेती का विकास
2. सिंचाई की व्यवस्था - दलमा के पानी को रोककर चेक डैम बनाना
3. ~~बिजली~~ कुटीर उद्योग का प्रबंध
4. शिक्षा की व्यवस्था
5. मुर्गी, मछली, सूअर, मधुमक्खी पालन
6. कृषि - वानिकी
7. ऐसे फसल उगाना जिसमें पानी कम लगता हो और पेड़ जलावन के काम आवे
8. ग्रामों में विचार गोष्ठी का आयोजन

(2)

मुख्य दिक्कतें / समस्याएँ

1. वन का कम होना —
   - (क) जलावन की कमी
   - (ख) चारागाह की कमी
   - (ग) पत्ते की कमी से खाद की कमी
   - (घ) जल की कमी
2. वन सुरक्षा समिति का न होना
3. अशिक्षा
4. जनसंख्या में वृद्धि
5. बाहरी दबाव
6. गरीबी / मजबुरी
7. लालच

(२) आजीविका के साधन

1. लकड़ी - जलावन, घर बनाने एवं खेती के लिए
2. बांस, चीरू घास - झाड़ू बनाने के लिए
3. केंदु, साल, सिहोड़ का पत्ता - पत्तल बनाने एवं बीड़ी के लिए
4. चीहड़ एवं खड़िया का लता - रस्सी बनाने के लिए
5. हड़ुला एवं भालुकी छाल, करंज, चिरौता, आंवला मधु एवं विभिन्न जड़ी-बुटियां - दवा के लिए
6. बेल, पियाल, महुआ, जामुन - खाने के लिए
7. खाम आलू, कुम्हड़ा, कुन्दरू, संदना, सातु - सब्जी
8. शाल जाद्य - चुना बनाया जाता है।
9. हिरण, तीतर, मुर्गी, मैना, साहील, सुआ - खाने के लिए
10. शाल का बीज, पीयाल का बीज - कलकत्ता जाता है
11. नीम का दतमन, सेमल का रूआ - बेचे जाते हैं
12. चीहड़ का पत्ता - छाता बनाया जाता है।
13. दलमा पहाड़ को काटकर रास्ता चलाया जाता है
14. जंगल को चारागाह के रूप में इस्तमाल होता है
15. दलमा से पानी से पटवन होता है।

सभी जानकारी वन विभाग के प्राप्त कर समिति के अध्यक्ष ग्रामवासियों को अवगत करावें।

(9) वन विभाग एवं स्वयं सेवी संस्थाएँ समितियों के सदस्यों को बेहतर प्रबंध संधारण बचाव तथा अन्य विकास कार्यों ~~एवं~~ में प्रशिक्षण देने की अहम भूमिका निभाएँ।

(10) प्रत्येक गाँव स्तर की समितियों के कार्यों का समय-समय पर उपरी स्तर की समितियों द्वारा देख रेख किया जाना चाहिए और बेहतर बनाने के सुझाव दें।

अवश्य खुला जाए, ~~जितनी~~ उस जिसे समिति के बीच में ग्राम विकास कार्यों के लिए रखा जाए। उदाहरण स्वरूप - तेंदु पत्ता छोटे पौधे से काम करना।

7. महिलाओं को समिति में बराबर प्रतिनिधित्व ~~दिया~~ जाए। इसके लिए एक घर से एक महिला तथा एक पुरुष को समिति में अवश्य लिया जाए। महिलाओं को समिति में खुलकर हिस्सा लेने हेतु उनके शिक्षा तथा बहुभागिता हेतु स्वयं सेवी संस्थाएँ/वन विभाग सक्रीय ~~भूमिका~~ भूमिका निभाएँ।

8 खेती जमीन पर लगे फलदार वृक्षों की कटाई से बचाने के लिए समिति सक्रीय भूमिका निभाएँ। वृक्ष के मूल्य की

(4) समितियाँ तीन स्तर पर ~~क~~ बनेंगी-

1. प्रत्येक गाँव स्तर पर
2. गाँवों के समूह (8-10 गाँव)
3. दलमा अभ्यारण्य के स्तर पर

इस स्तर की समिति में ग्राम समिति के प्रतिनिधि, स्थानीय स्वयं सेवी संस्थाएँ तथा वन विभाग एवं जिला प्रशासन के प्रतिनिधि रहेंगे।

5. ग्राम समितियों के क्षेत्र में गाँव के जमीन और उनके द्वारा सुरक्षित जंगल के योजना एवं प्रबंध समिति के सहमती से हीं हो।

6. अभ्यारण्य से छोटे वन पदार्थों को एकत्र करने की अनुमति दी जाय जिससे वन्यप्राणियों को विशेष क्षति न पहुंचे, लेकिन ग्रामवासियों को उससे अधिकतम फायदा हो। समिति द्वारा प्रत्येक संग्रहित पदार्थ पर ~~मानक मूल्य लाभ~~ साधारण शुल्क

1

विचार दल - 1

विषय - वन संरक्षण समिति / वन विभाग

मुख्य सुझाव :-

(1) अभयारण्य के अन्दर तथा बाहर के सटे हुए गावों में वन सुरक्षा व इको विकास समिति को बनाने तथा मान्यता देने के लिए उपयुक्त सरकारी संकल्प जारी किया जाय।

(2) अभयारण्य के अन्दर एवं आसपास के ग्राम तथा जंगल विकास के अधिकतम काम इन्हीं समितियों के माध्यम से करवाई जाय।

(3) इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ सामंजस्य बैठाने में इन समितियों को मदद की आवश्यकता है, जिसमें वन विभाग व स्वयं सेवी संस्थाएँ मदद करें।

DALMA SANCTUARY

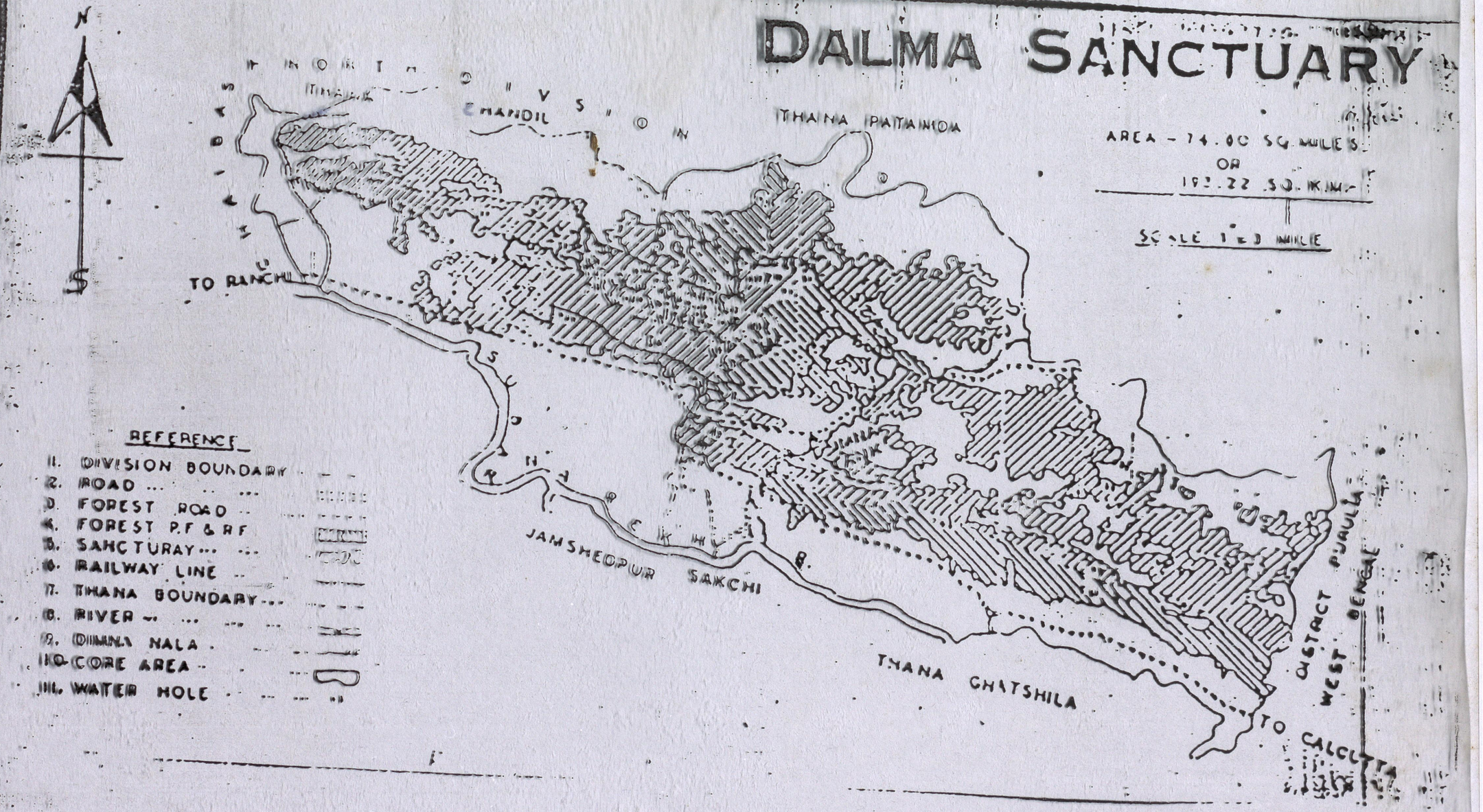

For Further action:-

- Registration of Van Samitis.
- Formation of apex bodies.
- Coordination between NGOs.
- Akhand Shikar
- Primitive tribes
- Subarnarekha canal - Elephant corridor
- Coordination between various divisions of FD.
- Accurate mapping of Dalma.
-

ISSUES REGARDING FPCS:

* LACK OF RECOGNITION -
  - No Legal Status
  - No official assistance - No incentives
  - No statutory authority
  - No participation in Management
* No BENEFIT SHARING MECHANISM -
  - Legal Constraints - only grazing allowed
  - Differing objectives of FD & local community
  - No incentives
  - Criminalisation of Resource Use Practices
* LOCAL PRESSURES -
  - Protection does not solve the issue of resource needs
  - Alternatives need to be found
* LOCAL DISPUTES -
  - Severely affect FPC functioning.
  - Need to form apex body for conflict resolution

SUCCESS OF FPCs - Not uniform

Contingent upon - Geographical, Ecological, Economic, and political factors.

* Varying objectives for protection by FD & Local Communities

POSSIBILITIES FOR JOINT MANAGEMENT

FOR

- Increasing pressure on Dalma Sanctuary
- Forest Dept. unable to deal with pressure on its own.
- Large population dependent on Sanctuary for livelihood.
- Success of Van Samitis.
- Samitis want help & recognition.
- Forest Dept. wants local support
- Eco. Development plans.
- Presence of active NGOs

Against

- Management totally with FD.
- FD unwilling to devolve powers.
- Poor relations with villagers.
- Legal & Policy hurdles.
- Villagers sceptical of Eco-development.
- Poor relations with NGOs.

The Way Out?

- Legal Status & Recognition to Samitis
- Participatory formulation of Management Plan.
- Forest-based benefit sharing.
- Coordination of working of NGOs, Samitis & FD.
- Alternative resources.

X X X

~~Unresolved issues~~:

DALMA WILDLIFE SANCTUARY, BIHAR

* Pressures for :-
  - Fuel, Timber*, NTFP, Land, Construction materials.
* Resulting from -
  Local requirements, Livelihood issues, Urban needs.
* Success of Forest Department has been limited.
* People's Response - Village level FPCs.
* Reasons for Protection - Resource Protection & Livelihood Security
  - Govt. policy - JFM notification*
  - Role of NGOs
  - Religious Sensibilities
* Nature of FPCs
  - Self-initiated
  - No Legal Status, recognition, rights, etc.
  - Village level
  - NGO support
  - No support of Forest Department or other Govt. agencies
* Structure - core group, general body - Informal constitution
  - Women & Backward Communities.....
* Functioning - Designates Protected patch & species.
  - Prevent felling / restricts felling.
  - Social controls
  - Variety of Rules / policies / punishments, etc.
  - Autonomous of Panchayats
  - Independent of Forest Department.

DALMA WILDLIFE SANCTUARY

* Area - 193.22 sq.km.
  Core area - 55 sq.km
  Buffer area - 138 sq. km.
* Highest point - 926 m.
* Ecological value -
  - Important animal species - Elephant, Mouse Deer.
  - Plant diversity.
  - Watershed value
* No. of villages - Population
  - 85 inside the Sanctuary * — 32,000
  - 1 in Core area — 105
* Communities - Mahato, Bhumij, Santhal, Kharia, Paharia.
* Livelihood - Agriculture, Labour, collection & processing of fuelwood & NTFP.
* Sanctuary notified in Jan. 1976.
* Effect of Sanctuary -
  - Restrictions on Resource Collection.
  - JFM not applicable.
  - People - Animal Conflict.
* Relations with Forest Dept. -

पर कार्यशाला
दिनांक : 12 और 13 अगस्त '96
APSARA